

**प्रपत्र-2**  
**(दो प्रतियों में)**  
**बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना**

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला दंडाधिकारी को तीन प्रतियों में दिया जायेगा)\*

1. (क) मृत व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में) :-  
(ख) पता - ग्राम ..... पंचायत ..... थाना .....  
अंचल ..... जिला .....
2. दुर्घटना का विवरण :-  
(क) तिथि :-  
(ख) समय :- पूर्वाह्न / अपराह्न  
(ग) स्थान :-  
(घ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला दंडाधिकारी / पंचायत / शहरी निकाय को कब संसूचित किया गया था :-  
(ङ) दुर्घटना का विस्तृत ब्योरा :-  
(च) मृत्यु की तिथि एवं समय :-
3. मृत्यु प्रमाण-पत्र / पोस्ट - मार्टम रिपोर्ट निर्गत करनेवाले प्राधिकारी का नाम :-

---

\*दावा पत्र की प्राप्ति रसीद दी जायेगी और दावा पत्र की एक हस्ताक्षरित प्रति आवेदक को आवेदन देने के समय दी जायेगी।